

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(तीसरी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग खेलगाँव के सामने, नई दिल्ली)

संदर्भ संख्या: PAD/2020-21/000049

दिनांक: 03.03.2026

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान (बीईडीएफ), जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है, को निदेशक (अनुबंध के आधार पर) के रूप में कार्य करने हेतु एक पदधारी की आवश्यकता है। यह नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आवश्यक आयु, योग्यता, अनुभव आदि रखने वाले सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जिनमें केंद्रीय स्वायत्त/सांविधिक निकायों से सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं, आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यकताओं का विवरण जैसे आयु, योग्यता, अनुभव आदि इस नियुक्ति सूचना में उपलब्ध हैं।

सहायक दस्तावेजों के साथ आवश्यक विवरण सहित आवेदन इलेक्ट्रॉनिक/भौतिक रूप में सचिव, एपीडा, चौथी मंजिल, एन. सी. यू. आई. बिल्डिंग 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र, हौज खास, नई दिल्ली में 16.03.2026 तक भेजा जाए।

चयन मानदंड और कार्य-क्षेत्र - निदेशक, बीईडीएफ (अनुबंध के आधार पर)

1. योग्यता:

1.1 अनिवार्य:

कृषि / कृषि अर्थशास्त्र / वाणिज्य / लोक प्रशासन / अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पीएच.डी.

1.2 वांछनीय:

- कानून की डिग्री
- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) से संबंधित मामलों का ज्ञान
- व्यापार मामलों, विशेषकर कृषि उत्पादों में अनुभव
- कृषि क्षेत्र का अनुभव
- आईटी दक्षता

2. आयु: आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 65 से अधिक नहीं होने चाहिए।

3. कार्य अनुभव:

सरकारी क्षेत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/केंद्र/राज्य सरकार के अधीन सांविधिक निकाय) में न्यूनतम 25 वर्ष का अनुभव।

4. कार्य-क्षेत्र:

- 1) प्रतिष्ठान की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के लीडर के रूप में कार्य करना।
- 2) प्रतिष्ठान द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के अनुसंधान कार्यक्रमों की योजना बनाना, निष्पादित करना और प्रबंधन करना और परियोजना के प्रशासन की देखभाल करना।
- 3) प्रतिष्ठान की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के प्रशासन और प्रबंधन की देखभाल करना।
- 4) बासमती चावल प्रगति पर सहयोगात्मक अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना।
- 5) विभिन्न मंचों पर अनुसंधान एवं तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- 6) बुनियादी ढांचे और अनुसंधान सुविधाओं का विकास करना और अन्य कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- 7) प्रतिष्ठान के अधिदेश को पूरा करना जिसमें बासमती चावल को बढ़ावा देने के लिए उपाय करना शामिल है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी (एप्लिकेशन टेक्नोलॉजी) का विकास, क्षेत्र विशिष्ट कृषि संबंधी प्रथाओं के मूल्यांकन सहित अनुसंधान और विकास, बुनियादी कृषि अनुसंधान एवं विकास कार्य में शामिल एजेंसियों के लिए अनुसंधान संक्षेप तैयार करना, नई आशाजनक किस्मों का मूल्यांकन परीक्षण, बीज गुणन परियोजनाएं, अनुबंध खेती और क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं का विकास और निष्पादन और बासमती चावल के विकास, वृद्धि, मिलिंग, प्रसंस्करण, व्यापार और निर्यात में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच अन्य संबंध पैटर्न का विकास।
- 8) पदेन सचिव के रूप में, कोरम की आवश्यकता और अनुसूची के अनुसार सोसायटी की बोर्ड बैठकें और वार्षिक आम बैठकें आयोजित करना और उसके बाद संचलन के लिए कार्यवाही आदि को रिकॉर्ड करना।

- 9) बासमती चावल की आपूर्ति श्रृंखला के संवर्धन एवं विकास का कार्य करना और विशेष रूप से उपभोक्ताओं, किसानों, मिल मालिकों, व्यापारियों और निर्यातकों जैसे विभिन्न हितधारकों की गतिविधियों के एकीकरण को बढ़ावा देना, विकसित करना और समन्वय करना और इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए वस्तुनिष्ठता लाना।
 - 10) प्रतिष्ठान की ओर से आवेदन करना और पंजीकरण करना, खरीदना, या किसी अन्य माध्यम से भारत और विदेश में किसी भी पेटेंट, पेटेंट अधिकार, लाइसेंस, व्यापार चिह्न, डिजाइन, कॉपीराइट, संरक्षण या रियायत को प्राप्त करना और संरक्षित करना, बढ़ाना और नवीनीकृत करना और उसके संबंध में लाइसेंस को अस्वीकार करना, बदलना, संशोधित करना, उपयोग करना या अनुदान देना।
 - 11) प्रतिष्ठान के अधिदेश का प्रचार-प्रसार करना।
 - 12) बासमती चावल के निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से विदेशी और घरेलू आयोजनों में व्यापारिक भागीदारी तथा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों का आयोजन करना।
 - 13) एफपीओ आदि सहित हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
 - 14) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न मंचों पर बासमती की ब्रांडिंग को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना और सुदृढ़ करना।
 - 15) समय-समय पर बासमती चावल के व्यापार/निर्यात को प्रभावित करने वाले विभिन्न व्यापारिक मुद्दों का समाधान करना।
 - 16) अध्यक्ष, एपीडा द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
5. **पारिश्रमिक:** अंतिम आहरित मूल वेतन में से पेंशन घटाकर, साथ ही परिवहन सुविधा।
6. **कार्यकाल:** प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए जिसे एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
7. **चयन मानदंड:** निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों का साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा।

आवेदन जमा करना: आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **16.03.2026** है।

सहायक दस्तावेजों के साथ आवश्यक विवरण सहित आवेदन इलेक्ट्रॉनिक/भौतिक रूप में निम्न पर भेजा जाए:

सचिव एपीडा

चौथी मंजिल, एन.सी.यू.आई.

बिल्डिंग 3, सीरी सांस्थानिक क्षेत्र,

हौज खास, नई दिल्ली

ईमेल: sudhanshu@apeda.gov.in

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।